स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत जिला स्तर के स्वीकृत लेखापाल, सहायक ग्रेड-03 एवं भृत्य पद की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों केवल जिले के स्थानीय निवासियों के लिए दिनांक 26.08.2017 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है। आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgstate.gov.in, www.zpnarayanpur.gov.in & www.narayanpur.gov.in,** तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

आदेशानुसार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क./ 3079 /जि.प./स्था./2017-18 नारायणपुर दिनांक .08.2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना अधिकारी,NIC नारायणपुर उक्त विज्ञापन को **www.cgstate.gov.in, www.narayanpur.gov.in** व जिले की वेबसाईट **www.zpnarayanpur.gov.in** पर अपलोड करने हेतु (विज्ञापन में **PDF** में)
2. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

–:: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::–

कमांक / 3079 /जि0पं0 / स्था. / खनिज / 2017–18 नारायणपुर दिनांक 11 .08.2017

जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत जिला स्तर के स्वीकृत लेखापाल, सहायक ग्रेड–03 एवं भृत्य पद की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों केवल जिले के स्थानीय निवासियों के लिए दिनांक 26.08.2017 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है।

पद का विवरण :–

क	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति				
			मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	लेखापाल	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सहायक ग्रेड– 03	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भृत्य	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :–	**3**	**3**	-	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम, शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि कलेक्ट्रड नारायणपुर कार्यालय तथा जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेवसाईट www.zpnarayanpur.gov.in, narayanpur.gov.in & www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

E:VACENCEY/MGNREGA/VISHU/2016-17

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्ते :–

शैक्षणिक योग्यता :–

क.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	लेखापाल	5200–20200+2400	शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–एक(लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा पर लिया जायेगा।
2	सहायक ग्रेड–03	5200–20200+1900	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष की डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाऐगी)
3	भृत्य	4750–7440+1300	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

नियम व शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. संविदा नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2018 तक के लिए होगी, तत्पश्चात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर व संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णाकिंत किया जावेगा।

5. संविदा नियुक्ति पद की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

6. सेवा सामाप्ति के पश्चात कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।

7. अभ्यर्थी को जिला का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे।

8. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.07.2017 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदको को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय–समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागु होगे। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।

9. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण मान्य होगा।

10. अजा/अजजा/अपिव के आवेदको को जाति के पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची एवं स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

13. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए–4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होंगे।

14. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

15. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

17. सरल कमांक 01 में उल्लेखित पद सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–एक(लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) के लिये जिले के मूल निवासी नही मिलने पर, छ0ग0 राज्य के मुल निवासीयो को लिया जावेगा।

18. **आवेदक जो पात्र नही होंगे :–**

i. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिसमें से 01 का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

ii. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करे।

iii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव नही होने पर आवेदन निरस्त कर अपात्र कर दिया जाएगा।

19. **नियुक्ति का तरीका :–**

i. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जो स्वीकृत पदो के पांच गुना होगा।

ii. तैयार मेरिट सूची से अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

iii. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यार्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

iv. चयनित अभ्यार्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।

20. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

21. आवेदक का आवेदन दिनांक .....08.2017 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक से जिला पंचायत नारायणपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।

22. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

23. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

24. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

E:VACENCEY/MGNREGA/VISHU/2016-17